बिहार शिक्षा परियोजना, बांका

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रा०शि०)
मोबाईल न0--8544411049

Phone No.- 06424-221636
Fax No.- 06424-221635
email – bepbanka@gmail.com

कार्यालय आदेश

दिनांक 10.06.17 को निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिये गये निर्णयके आलोक में 16 ऐसे निजी विद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति अवधि समाप्त हो गयी थी उनका प्रस्वीकृति नवीकरण, प्रस्वीकृति समाप्ति की तिथि से वर्ष 2019–20 तक के लिए किया जाता है। प्रस्वीकृति नवीकरण वाले विद्यालय की सूची निम्नवत है :–

प्रखंड	निजी विद्यालयों का नाम
शंभूगंज	1.मदरसा अजीजुल उलूल, चुटिया पहाड़ 2.केदारनाथ सरस्वती शिशु मंदिर, शंभूगंज
बांका	✓1.चमनसाह सरस्वती विद्या मंदिर, जगतपुर कोड-15
बाराहाट	1.चांदवाला चौधरी, सरस्वती शिशु मंदिर, खरहरा
बौंसी	1.संत जुद, म0वि0 डुमरिया, 2.संत जोसफ म0 / उ0वि0 कानिकैथ 3.परमेस्वर लाल खेमका, सरस्वती शिशु मंदिर, थाना कॉलनी
बेलहर	1.सरस्वती विद्या मंदिर, मथुरा साहेबगज
कटोरिया	1.होली फेमली म0वि0 चरकापाथर 2.सेंट जेवियर्स स्कूल, कटोरिया
रजौन	1.परमानंद सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर, नवादा बाजार 2.डा0 जयप्रकाश मेहता, सरस्वती शिशु मंदिर पुनसिया
चांदन	1.संत लुइस म0वि0 बाबू महल 2.जगन्नाथ मोदि, सरस्वती विद्या मंदिर सुइया
अमरपुर	1.बी0डी0 एकेडमी, खेमीचक, अमरपुर 2.सरस्वती शिशु मंदिर चिड़ैया

उपर्युक्त विद्यालयों को प्रदत औपबंधिक प्रस्वीकृति के समय निर्धारित सभी शर्तें कंडिका 01–19 तक यथावत रहेंगे।

14/7/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, बांका।

ज्ञापांक.......SA 986.........,बांका / दिनांक 14/7/17
प्रतिलिपि :संबंधित विद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/7/17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान, बांका।

सचिव
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

F:\Office Data\Soni\Office Order Privite School 12-07-17.docx

प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

बिहार शिक्षा परियोजना, बांका

फैयाज अहमद शम्सी
बि०शि०से०
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रा०शि०)
मोबाईल न0–8544294985

Phone No.- 06424-221636
Fax No.- 06424-221635
email – bepbanka@gmail.com

पत्रांक – एस0एस0ए0...1262

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर,

जगतपुर, बांका

बांका, दिनांक...17.06.13

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक 29.09.11 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर, जगतपुर, बांका कक्षा I से VIII कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :–

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

सचिव
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

\\Rana-pc\c\Users\Rana\Documents\fcgkj f1.docx

प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे:

i किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

v अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत:–

विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल : ५२ डिसमिल

खेल का मैदान उपलब्ध

वर्गकक्षों की कुल संख्या : 13

प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष : 03

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय : बालक -05
बालिका -04

पेयजल की सुविधा : चापाकल - 04, बोरिंग -02, पानी टंकी 03, नल - 20

सचिव
चमन साह सरस्वती [illegible] मंदिर
जगतपुर (बांका)

\\Rana-pc\c\Users\Rana\Documents\fcgkj f1.docx

प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर : 01

बाधारहित पहुँच : हाँ

शिक्षण अधिगम सामग्री : उपलब्ध

खेल–कूद उपकरण : उपलब्ध

पुस्तकालय : पुस्तकें उपलब्ध

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 / सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या ......15...... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा0शि0 / सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय–समय पर माँग किये गए प्रतिवेदन एव सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

15.06.17

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 / सर्व शिक्षा अभियान,
–सह–सदस्य सचिव,
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, बांका।

15.06.13

सचिव
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

\\Rana-pc\c\Users\Rana\Documents\fcgkj f1.docx

सर्व शिक्षा अभियान

प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

पत्रांकः–10 / न –08 / 2019...............

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

निबंधित डाक

मो० तसनीमुर रहमान
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक..............................

विषयः– **CHAMAN SAH SARASWATI VIDYA MANDIR, JAGATPUR, BANKA को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **CHAMAN SAH SARASWATI VIDYA MANDIR, JAGATPUR, BANKA** को **C.B.S.E** से अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **SHISHU SHIKSHA PRABANDH SAMITI, BIHAR** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट / सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट / सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित ट्रस्ट / सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **02 एकड़ भूमि** उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। समिति द्वारा इन संस्थानों का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नहीं करायी गयी है। इस संबंध में विद्यालय द्वारा प्राप्त अभिलेखों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है।**

4. विद्यालय में **कुल 25** शिक्षक नियुक्त हैं। **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।**

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तो के अनुसारः–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं

सचिव
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

NOC LETTER 49.

प्रधानाचार्य
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर, बांका

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) से कम हो रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतुं अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. **RTE** से संबंधित सभी मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। **C.B.S.E** संबंधित निजी विद्यालयों को सम्बद्धता देते समय इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

9. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

10. **साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

11. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

12. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **CHAMAN SAH SARASWATI VIDYA MANDIR, JAGATPUR, BANKA** को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(मो० तसनीमुर रहमान)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न –08/2019 .... पटना, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, **BANKA** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :–10/न –08/2019 282 पटना, दिनांक 22-4-2020

प्रतिलिपि:–प्राचार्य, **CHAMAN SAH SARASWATI VIDYA MANDIR, JAGATPUR, BANKA** को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव
चमन साह सरस्वती विद्या मंदिर
जगतपुर (बांका)

22/4/20
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)